बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–15/आरोप (जहानाबाद) –02–39/2026–....................(15)/रा० दिनांक–..........

श्री रंजीत कुमार उपाध्याय (कोटि क्रमांक–660/24), अंचल अधिकारी, मखदुमपुर, जहानाबाद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा में व्यवधान पैदा किया गया।

2. माननीय उप–मुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में भाग नहीं लिया गया (विभागीय मंत्री के विशेष कार्यक्रम का अनादर/अवरोध)।

3. माह मार्च, 2026 में महालेखाकार, बिहार एवं विभाग के स्पष्ट आदेश की अवहेलना की गई जिसमें आवंटन व्यय एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं किया गया।

4. राजस्व संग्रहण के लक्ष्य 203.65 लाख रूपये के विरूद्ध मात्र 27.29 लाख रूपये का संग्रहण किया गया, जिससे राज्य के वित्तीय प्रबंधन में अवरोध उत्पन्न हुआ।

5. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में अतिक्रमण हटाने के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया एवं माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई।

6. भारत की जनगणना–2027 जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध राष्ट्रीय कार्य को विफल करने का प्रयास किया गया।

7. विभागीय पत्रांक– 1242(7), दिनांक–19.12.2025, पत्रांक–3722(9ए) दिनांक–13.12.2025, पत्रांक–01(आई0टी0) दिनांक–01.01.2026, पत्रांक–01(11) दिनांक–03.01.2026, पत्रांक–24(7) दिनांक–13.01.2026, पत्रांक–25(7) दिनांक–14.01.2026, पत्रांक–15 दिनांक–16.01.2026, पत्रांक–165(9ए) दिनांक–19.01.2026, पत्रांक–61(7) दिनांक–19.01.2026, पत्रांक–213(9ए) दिनांक–22.01.2026, पत्रांक–26(17) दिनांक–29.01.2026, पत्रांक–237(9) दिनांक–02.02.2026, पत्रांक–461(9) दिनांक–25.02.2026 पत्रांक–462(9ए) दिनांक–25.02.2026, पत्रांक–141(17) दिनांक–26.02.2026, पत्रांक–487(9ए) दिनांक–27.02.2026, पत्रांक–488(9ए) दिनांक–27.02.2026 एवं पत्रांक–688(9), दिनांक–07.03.2026 में दिये गये दिशा–निदेशों की स्पष्ट अवहेलना की गई।

8. उपरोक्त सभी कृत बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) का प्रथम दृष्टया उल्लंघन है, जो हर सेवा के सदस्यों का Maintain absolute devotion to duty है।

उक्त कृत के लिये जो प्रथम दृष्टया बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) के प्रतिकूल आचरण के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 9(1) (क) के प्रावधान के तहत श्री उपाध्याय को **तत्काल प्रभाव से निलंबित** किया जाता है।

9. श्री रंजीत कुमार उपाध्याय पर विभागीय कार्यवाही का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

10. श्री उपाध्याय को निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम (10)(1) के तहत मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

11. श्री उपाध्याय का निलंबन अवधि में मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ निर्धारित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(डॉ0 सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–15 / आरोप (जहानाबाद) –02–39 / 2026–..................(15) / रा० दिनांक–..........................

प्रतिलिपि :–आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ / समाहर्त्ता, जहानाबाद / कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं जहानाबाद / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(डॉ० सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–15 / आरोप (जहानाबाद) –02–39 / 2026–........................(15) / रा० दिनांक–..................................

प्रतिलिपि :– श्री रंजीत कुमार उपाध्याय (कोटि क्रमांक–660 / 24), अंचल अधिकारी, मखदुमपुर, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ में अविलम्ब योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करें।

ह०/–
(डॉ० सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–15 / आरोप (जहानाबाद) –02–39 / 2026–...561...(15) / रा० दिनांक–..13.4.26..

प्रतिलिपि :–माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / सचिव (श्री जय सिंह) के प्रधान आप्त सचिव / वरीय प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा–3 / आई०टी० मैनेजर (विभागीय बेवसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.04.26
(डॉ० सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव